भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 2393

गुरुवार, 13 मार्च, 2025/22 फाल्गुन,1946 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

नागर विमानन सम्मेलन के उद्देश्य एवं लक्ष्य

2393. श्री नारायण तातू राणे:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विगत पांच वर्षों के दौरान घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई सम्मेलन आयोजित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसे प्रत्येक सम्मेलन के उद्देश्य और लक्ष्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने उक्त लक्ष्य और उद्देश्य प्राप्त कर लिए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त सम्मेलनों के परिणामों से देश की अर्थव्यवस्था को किस प्रकार लाभ मिलने की संभावना है;

(ङ) देश एशिया-प्रशांत क्षेत्र में अग्रणी एयरोस्पेस केंद्र के रूप में किस प्रकार स्थपापित होगा;

(च) क्या सम्मेलन के परिणाम से एशिया-प्रशांत क्षेत्र में हवाई संपर्क और व्यापार साझेदारी पर प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) से (छ): सरकार ने 11-12 सितंबर 2024 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में नागर विमानन पर दूसरे एशिया प्रशांत मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (एपीएसीएमसी) का आयोजन किया था। दिल्ली घोषणा के माध्यम से आयोजित इस सम्मेलन से भारत की अर्थव्यवस्था और विमानन क्षेत्र को कई प्रकार से महत्वपूर्ण लाभ मिलने की संभावना है:

(i) इस घोषणा में क्षेत्रीय समन्वय पर बल दिया गया है, जो और अधिक कुशलता के साथ विमानन अवसंरचना को विकसित करने के लिए एशिया प्रशांत देशों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करेगा।

(ii) यह सुरक्षा, हवाई दिक्चालन और विमानन संरक्षा के लिए आईसीएओ की वैश्विक योजना के क्रियान्वयन को सहायता प्रदान करता है, जो भारत को अपने विमानन सुरक्षा मानकों और संरक्षा उपायों को बेहतर बनाने में मदद करेगा।

(iii) क्षेत्रीय विमानन समन्वय में भारत को मुख्य पक्ष के रूप में स्थापित करने के माध्यम से, इस सम्मेलन के निष्कर्ष से बेहतर क्षेत्रीय संपर्क प्राप्त करने और भारतीय विमानन उद्योग में निवेश को प्रोत्साहित करने में मदद मिलने की संभावना है, जिससे इस क्षेत्र में अग्रणी विमानन केंद्र के रूप में भारत की स्थिति सुदृढ़ होगी।

इसके अतिरिक्त, इस सम्मेलन से एशिया-प्रशांत क्षेत्र के भीतर क्षेत्रीय हवाई संपर्क और व्यापार भागीदारियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना है। जैसा कि दिल्ली घोषणा में उल्लिखित है, इन विशिष्ट निष्कर्षों में शामिल हैं:

(i) नागर विमानन पर एशिया प्रशांत मंत्रिस्तरीय घोषणा (बीजिंग घोषणा) की पुनःपुष्टि।

(ii) वैश्विक विमानन सुरक्षा योजना (जीएएसपी), वैश्विक विमानन संरक्षा योजना (जीएएसईपी), और वैश्विक वायु दिक्चालन योजना (जीएएनपी) सहित आईसीएओ वैश्विक योजनाओं को क्रियान्वयित करने हेतु एपीएसी क्षेत्र सदस्यों से प्रतिबद्धता।

(iii) विमान यातायात मांग को पुनः बहाल करने और भावी मांग को पूरा करने में सहयोग हेतु आधुनिकीकरण में संसाधनों के निवेश हेतु समझौता।

(iv) राष्ट्र सुरक्षा निगरानी प्रणाली के महत्वपूर्ण तत्वों के कुशल क्रियान्वयन को बेहतर बनाने के लिए आईसीएओ और क्षेत्रीय प्लेटफ़ार्मों के माध्यम से सहयोगात्मक कार्य।

(v) प्रभावी सुरक्षा और संरक्षा निगरानी हेतु संधारणीय वित्तपोषण के प्रति प्रतिबद्धता।

(vi) विमानन सुरक्षा, हवाई दिक्चालन सेवाएं, विमानन संरक्षा, फेसिलिटेशन, विमानन क्षेत्र में लैंगिक समानता, विमानन पर्यावरण संरक्षण और अंतर्राष्ट्रीय वायु कानून संधियों के अनुसमर्थन सहित धायनार्थ क्षेत्र।

*****